राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2429/2025

शशि **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेदिक एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर (राज.)।
4. आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, पिंगोरा, तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2025

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.सी.व्यास, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कम्पाउण्डर नर्स के पद पर राजकीय आयुर्वेद डिस्पेन्सरी, पिंगोरा उच्चैन जिला भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड की वरियता सूची चयन हेतु जारी की गई जिसमें अपीलार्थी चयनित हुआ।

परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उन अभ्यार्थियों को नियुक्तिया दी गई जो अपीलार्थी से मैरिट क्रमांक में नीच थे। कई रिक्त पद होने के बावजूद अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया ओर आदेश दिनांक 02.03ण.2016 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु आदेश दिया गया। जिसकी पालना में दिनांक 11.03.2016 को कार्यग्रहण किया जबकि अपीलार्थी निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक अर्हरता के अनुसार अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ अभ्यार्थियों से पूर्व नियुक्ति पाने का अधिकारी था। दिनांक 31.01.2024 को अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की। परन्तु आदिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। तद्उपरान्त अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 03.04.2024 में अपीलार्थी की वरियता को संशोधित किया जावे ओर उचित स्थान पर वरिष्ठता प्रदान करते हुए अपीलार्थी को वरिष्ठ कम्पाउण्डर के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में कम्पाउण्डर नर्स के पद पर राजकीय आयुर्वेद डिस्पेन्सरी, पिंगोरा उच्चैन जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर नर्स जूनियर ग्रेड की वरियता सूची चयन हेतु जारी की गई जिसमें अपीलार्थी चयनित हुआ। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उन अभ्यार्थियों को नियुक्तिया दी गई जो अपीलार्थी से मैरिट क्रमांक में नीचे थे। कई रिक्त पद होने के बावजूद अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया ओर आदेश दिनांक 02.03.2016 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु आदेश दिया गया। जिसकी पालना में दिनांक 11.03.2016 को कार्यग्रहण किया जबकि अपीलार्थी निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक अर्हरता के

अनुसार अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ अभ्यार्थियों से पूर्व नियुक्ति पाने का अधिकारी था। दिनांक 31.01.2024 को अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की। परन्तु आदिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)